



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
जयदीप पुत्र बलराम गुजर गजपतपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 259 /2021		GCMS No. 2021/1008
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
1.12.2021	<p>वादी श्री जयदीप पुत्र बलराम गुजर निवासी गजपतपुर द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत गजपतपुर में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2076-2077 ग्राम गजपतपुर पटवार मण्डल गजपतपुर के खाता नम्बर 42 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि जयसूराम पुत्र बलराम दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम जयदीप पुत्र बलराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 00839 1400071 आधार नम्बर 3981 2320 7776 मतदाता पहचान पत्र 65K 2625 358 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी गजपतपुर भू.अ.नि. गजपतपुर एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>	
		 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

1000-1002

